न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम्, जौनपुर।
UPJP010014612026

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र प्रताप यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा, UP1668)

दाण्डिक निगरानी संख्या–92/2026

श्यामजीत यादव उम्र लगभग 59 साल पुत्र झग्गू यादव साकिन मौजा– मखदूमपुर, थाना–केराकत, जिला–जौनपुर।

——————————**निगरानीकर्ता**

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2– जे0ई0 गौरव कुमार विश्वकर्मा उम्र लगभग 40 साल अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नई बाजार, केराकत, जौनपुर पुत्र अज्ञात।
3– अमित यादव उम्र लगभग 30 साल पुत्र बचानू उर्फ बैजनाथ ग्राम चकरामनगर, थाना–केराकत, जनपद–जौनपुर विद्युत संविदा कर्मी।
4– सुबाष निषाद उम्र लगभग 45 साल पुत्र प्यारेलाल साकिन मौजा–औवार, थाना–केराकत, जनपद–जौनपुर विद्युत संविदा कर्मी।

——————————**विपक्षीगण**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–11, जौनपुर द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–447/2025, धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0, थाना–केराकत, जिला–जौनपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित–10.02.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 को निरस्त कर दिया।

2. संक्षेप में निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांकित–10.02.2026 विधि एवं तथ्य के विपरीत है। आलोच्य आदेश को पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। विपक्षीगण 02 ता 04 द्वारा प्रार्थी/ निगरानीकर्ता के रहाइसी घर में घुसकर, मारपीट, गाली गलौज व डकैती की घटना को अन्जाम दिया गया था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों का शामिल होना पाया गया है। जिसकी बरामदगी पुलिस से ही संभव है तथा साक्ष्य संकलन भी पुलिस विवेचना से ही संभव है।

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2026.06.27 15:38:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये ही प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 को खारिज कर दिया जिससे अपूर्णनीय क्षति व कठिनाई निगरानीकर्ता की है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांकित–10.02.2026 निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. निगरानीकर्ता की ओर से कागज संख्या– 4ख/2 नकल आदेश दिनांक 10.02.2026 की सत्य प्रति, का0सं0–4ख/4 ता 4ख/6 प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0–447/2025 की सत्य प्रति व जिलाधिकारी जौनपुर को प्रेषित पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

4. विपक्षीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश विधि व तथ्यों व साक्ष्यों के अनुकूल है। विद्वान अवर न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करके न्याय की परिधि में रहकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये और आक्षेपित आदेश पुष्ट किया जाये।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली सहित पत्रावली एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित–10.02.2026 का सम्यक् परिशीलन किया।

–:<u>निष्कर्ष</u>:–

6. प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.02.2026 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है और अपास्त किये जाने योग्य है।

7. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में मूल आधार यह लिया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 10.02.2026 विधि एवं तथ्य के विपरीत है। अवर न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। विपक्षीगण ने निगरानीकर्ता के रिहायशी घर में घुसकर मारपीट, गाली–गलौज व डकैती की घटना को अन्जाम दिया था। जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं, बरामदगी भी शामिल है, जो बिना पुलिस विवेचना के संभव नहीं है। आलोच्य आदेश दिनांकित–10.02.2026 में विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि प्रार्थी का यह कथन कि जे0ई0 के साथ विभिन्न कर्मचारी व संविदाकर्मी उसके विद्यालय पर दिनांक–18.08.2025 को समय 05 बजकर 30 मिनट पर आये और मौका मुआयना करने के पश्चात घर में घुसे और सभी शराब के नशे में थे यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि बिजली विभाग

के कर्मचारी व संविदाकर्मी शराब के नशे में धुत होकर बिजली संबंधी जॉच या कार्यवाही करने के अनुक्रम में जायेगें। उसका यह भी कथन कि गौरव विश्वकर्मा द्वारा पच्चीस हजार रूपये की मॉग की गयी, जबकि पुनः विरोधाभासी कथन करते हुए कहा है कि उसके जेब से 1500/–रूपये छीन लिये और 500/– रूपये के तीन नोट सुबाष की तरफ उड़ा दिये और सुबाष ने दो नोट रख लिया। यह अत्यन्त विरोधाभासी है कि एक तरफ तो 25000/–रूपये की घुस की मांग की गयी और दूसरी तरफ उनके द्वारा लूट कारित करते हुए पैसे निकाल लिये और हवा में उड़ा दिये। पुलिस की आख्या के अनुसार उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत है, जिससे स्पष्ट है कि वह मुकदमे के विरोध में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

8. हस्तगत प्रकरण की मूल पत्रावली तलब होकर निगरानी की पत्रावली के साथ संलग्न है, जिसमें दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार निगरानीकर्ता का एक विद्यालय है जिसके सामने हाईटेंशन तार हटवाने के लिए उसने दिनांक–05.08.2025 को प्रार्थनापत्र दिया था जिसकी जॉच के लिए विपक्षी जे0ई0 गौरव कुमार अपने सह–कर्मियों के साथ दिनांक–18.08.2025 को पहुॅचे और मुआयना करने के बाद उसी दिनांक 05.30 बजे उसके घर पहुॅचे और बाउण्ड्री का गेट खोलकर सीधे घर में घुस गये। सभी शराब के नशे में थे और कहे कि तार हटवाना है तो पच्चीस हजार रूपये दो। खुद को अधिवक्ता बताने पर लोग गाली देते हुए लात–मुक्का से मारने लगे और उसके जेब से 1500/–रू0 गौरव ने छीन लिया। जब वह अपने पैसे वापस छीनने लगा, तो तीन नोट सुबाष की तरफ उछाल दिया। दो नोट सुबाष तथा एक नोट अमित ने अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने धमकी दी कि फर्जी मुकदमे में फंसा देगें। उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिये। उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रकरण में व्यक्तियों की पहचान व रूपयों की बरामदगी शामिल है तथा क्रास केस दर्ज है। अतः उसका मुकदमा भी पंजीकृत किया जाये।

9. विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच करायी गयी। जॉच आख्या दिनांकित–06.01.2026 के अनुसार निगरानीकर्ता के कथानक को असत्य बताते हुए यह उल्लेख किया कि निगरानीकर्ता ने जिलाधिकारी महोदय को आन लाइन आवेदन किया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया। आदेश के अनुक्रम में विभागीय जॉच हेतु गौरव विश्वकर्मा, सुबाष निषाद व अमित यादव दिनांक–18.08.2025 को 05.30 बजे गये थे, जहॉ पर पहले से साजिश करके बैठे निगरानीकर्ता व उसके पुत्रों ने मॉ–बहन की गाली देते हुए लाठी–डण्डे से गौरव को मारने लगे। मारपीट से शरीर पर बहुत चोटें आयी जिसके

कारण उनके विरूद्ध प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अवर अभियन्ता ने बताया कि विधि विरूद्ध तरीके से विभागीय तार व पोल को तुरन्त स्थानांतरित कराने के लिए वादी द्वारा मारपीटकर झूठे आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी की ओर से आपत्ति के साथ गौरव विश्वकर्मा को आयी चोटों की आहत आख्या तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दाखिल की गयी है। निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र से ही यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर ही विपक्षी बिजली कर्मी जॉच के लिए गये थे, जहॉ पर निगरानीकर्ता के द्वारा मारपीट किये जाने के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत है। निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं को लात–मुक्का से मारने–पीटने की बात कही गयी परन्तु चोट कहॉ–कहॉ आयी व किस प्रकार की चोटें थीं के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया और न ही अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। उसकी ओर से क्रास केस होने के आधार पर अपना मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही गयी है। परन्तु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता के द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र, उस पर जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में गठित टीम के सदस्यों के द्वारा विधि के अनुरूप कार्यवाही करते समय निगरानीकर्ता द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा लूट तथा डकैती जैसी घटना जैसा निगरानीकर्ता कहता है लोगों की उपस्थिति में किया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकित– 10.02.2026 को पारित करते समय विधि एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार की विधि अथवा क्षेत्राधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं पाती है।

10. अतः आलोच्य आदेश दिनांकित–10.02.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है और निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या–92/2026, श्यामजीत यादव बनाम राज्य आदि निरस्त की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक–10.02.2026 पुष्ट किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–27.06.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव),
अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम्,
जौनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–27.06.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव),
अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम्,
जौनपुर।
जे0ओ0कोड–UP1668